कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/01/2025

अर्चना बंसल C/O श्री महेश चन्द बंसल H.N. 10/344, आर्य समाज रोड, विजय अनुमान मन्दिर के पीछे भरतपुर, (राज0) 321001

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 20.01.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट अर्चना बंसल C/O श्री महेश चन्द बंसल H.N. 10/344, आर्य समाज रोड, विजय अनुमान मन्दिर के पीछे भरतपुर राज0 की अपील लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/19 दिनांक 09.01.2025 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के पत्रांक स्था./रा.लो.सू.आ./25/295 दिनांक 20.01.2025 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है किः—

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

"....... प्रार्थीया / अपीलार्थी श्रीमती अर्चना बंसल को अवगत कराया जा चुका है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 12.11.2024 में जो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अंकित किये गये हैं वह इस कार्यालय से जारी नहीं हुए हैं तथा प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण अंकित नहीं होने के कारण इस कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है। अपीलार्थी का अपनी अपील में यह अंकित करना की लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना अदिनांक तक प्राप्त नहीं करायी गयी है उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अपील खारिज की जावे।......."

उक्तानुसार प्राप्त जबाब एवं संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थीया / अपीलान्ट द्वारा मूल आवेदन पत्र / प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जबाब दिया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि वह चाही गई सूचना से सम्बन्धित पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण, सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। जिससे प्रार्थीया / अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराई जा सकें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भी प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर